

brushed aside. It is quite easy to say how India is one from Kashmir to Kanya Kumari. And, for myself, I can say that it sends a thrill down my spine when I think of what was written in Vishnu Purana 1600 years or so ago;

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षे तद्भारतं नाम भारती यस्य सन्तति॥

That is, in the north of sea and the south of Himalayas, there is a country called Bharat, and Bharati, Indians, are her children. It sends a thrill down my spine and I am sure it excites everybody....

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue his speech on the next occasion. Now, we have to take up the half-an-hour discussion.

17.3 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PAY SCALES OF DELHI TEACHERS

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दिल्ली के स्कूलों में काम करने वाले तीस हजार अध्यापकों की दुखभरी कहानी कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 1947 से आज तक के बाईस सालों में, दुख की बात है कि अध्यापकों का ग्रेड एक बार भी नहीं बढ़ा है। 1959 में केवल एक बार उनकी बैसिक पे में डी०ए० को मिलाया गया था। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले शिक्षा मंत्री जी ने कुछ चीज उनके बारे में कही जिसका क्या परिणाम है वह मैं आपके सामने रखूँगा। कहने का मतलब यह है कि बीस साल से लगातार दिल्ली के अध्यापकों की जो तनख्वाह है, वह वही है जो 1947 में थी। इसके मुकाबले में जो कालेजों में पढ़ाने वाले लैक्चरर हैं और प्रोफेसर्स हैं उनके ग्रेड दो बार रिवाइज हो चुके हैं। इनके ग्रेड एक भी बार नहीं हुए हैं। दिल्ली के अध्यापक जो तनख्वाह 1947 में या 1950 में लेते थे वह तनख्वाह हिन्दुस्तान में टीचर्स के जो पे स्केल थे दूसरे

प्रांतों में उन सब से ज्यादा थी। वे इसलिए ज्यादा थे कि यहां की लोकल कॉन्ग्रेशन डिफेंड है, यहां पर जो अध्यापक काम करते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका काम करने का समय सब मिला कर ज्यादा थे। साथ ही दिल्ली की एक विशेष स्थिति है। सब मिला कर उनकी तनख्वाह ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हरियाणा और पंजाब में अध्यापकों के पे स्केल ज्यादा हैं और दिल्ली के अध्यापकों के उन से कम ह।

हमारे शिक्षा मंत्री जी स्वयं एक शिक्षक रह चुके हैं। मुझे खुशी है कि वे अध्यापकों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं। कितना उनके लिए वह कर पाते हैं यह मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हमदर्दी उनके साथ उनकी है, इसको मैं मानता हूँ।

लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि आया जो कमिशन की रिपोर्ट है उसमें डी० ए० मिला कर टीचर्स की उतनी तनख्वाह होनी चाहिये या डी० ए० बाहर निकाल कर के उतनी होनी चाहिये। पंजाब गवर्नमेंट ने डी० ए० बाहर रख कर उनकी जो तनख्वाह बनती है उसको बैसिक तनख्वाह माना है। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि डी० ए० मिला कर के उतनी तनख्वाह होनी चाहिए। इसलिए हमने जो ग्रेड दिया है और जो बाद में दिया है वह बहुत ज्यादा है।

सभापति महोदय, मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि जो सरकार ने दिया है उसका लाभ केवल पांच सौ अध्यापकों को हुआ है, तीस हजार अध्यापकों में से। सरकार ने केवल आठ लाख सालाना ज्यादा खर्च किया है। सरकार कहती तो यह है कि पन्द्रह लाख लेकिन मेरे हिसाब से केवल आठ लाख सालाना ज्यादा खर्च सरकार का हुआ है और केवल पांच सौ को तीस हजार में से इसका लाभ पहुंचा है।

17.34 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO in the Chair]

[श्री कंबर लाल गुप्त]

यहां की कंडीशंस अलग कैसे हैं, वह भी मैं आप की सेवा में रखना चाहता हूँ। दिल्ली के मिडिल स्कूल में ट्रेड टीचर्स का परसेंटेज जो है वह 98 है और हायर सैकेंडरी स्कूल में उनका परसेंटेज 92 है। इसके मुकाबले में आल इंडिया का जो एवरेज है वह मिडिल स्कूलों में 75 है और हायर सैकेंडरी स्कूलों में 70 है। यहां पर इस तरह से देखा जाए तो ट्रेड स्टाफ ज्यादा है। यहां का रिजल्ट हिन्दुस्तान की हर एक स्टेट से अच्छा है। यहां पर 1947 में एक अध्यापक एक साल में 187 दिन काम करता था और अब वह 245 दिन काम करता है जबकि कमिशन की रिपोर्ट के मुताबिक उसको ज्यादा से ज्यादा 234 दिन काम करना चाहिये। यहां के हजारों अध्यापक ऐसे हैं जिन के आने जाने का खर्चा एक महीने में 25 रुपया या तीस रुपया या चालीस रुपया आता है। उनको मकान का किराया बहुत ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि मकान सरकार ने उनके लिए नहीं बनवा रखे हैं। उनको अपनी हैलथ पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है क्योंकि हैलथ की सुविधायें सरकार ने नहीं दे रखी हैं। इस वास्ते मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उनकी मांगों की तरफ ध्यान दें।

एक बात कही जाती है कि आर्थिक कठिनाइयां हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, पैसा सरकार के पास नहीं है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन ने और यहां के चीफ एग्जिक्टिव काउंसिलर ने लिख कर सरकार को दिया है कि वे पच्चीस लाख रुपया ज्यादा अध्यापकों की तनख्वाह के लिए दे सकते हैं। यह रुपया बजट में से निकाल कर नहीं बल्कि नए टैक्स लगा कर या नई आमदनी से, किसी भी तरीके से दिल्ली प्रशासन देने के लिए तैयार है। इसकी जिम्मेदारी वह ले रहा है। वह पच्चीस लाख रुपया सरकार को ज्यादा

देने के लिए तैयार है ताकि यह रुपया अध्यापकों को दिया जा सके। लेकिन सरकार इसको नहीं मानती। वह एक टेक्नीकल और स्ट्रिक्टली लीगलिस्टिक व्यू लेती है। वह कहती है कि दिल्ली का बजट केन्द्र देखता है, इसलिए जो पैसा आपने कमाना है और ज्यादा लाना है वह हमें दे दो। हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। इस तरह की बात कहना मैं नहीं समझता हूँ कि इन लोगों के साथ मर्यानुभूति दिखाना है। यह तो अपनी अरिस्टोक्रेटिक आथोरिटी ही दिखाना है। आपके पास ताकत है और आप इस तरह की बात कह भी सकते हैं लेकिन यह कोई हमदर्दी की बात नहीं है। जो ग्रेड दिल्ली प्रशासन ने रिकोमेंड किया है उसके मुताबिक आपको ज्यादा से ज्यादा 38 लाख रुपया खर्च होता है जिसका कुछ हिस्सा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन भी देगी, नई दिल्ली म्यूनिसिपल क्रमेटी भी देगी और इसमें से आपके हिस्से केवल 27 लाख रुपया ही आता है। 27 लाख में से आप स्वयं कहते हैं कि आपने 15 लाख दिया है, हालांकि मेरे हिसाब से आपने केवल आठ लाख दिया है। अगर पन्द्रह लाख देना चाहते हैं तो इस तरह से तो केवल बारह लाख का सवाल ही रह जाता है अगर दिल्ली प्रशासन द्वारा रिकोमेंड किये गये ग्रेड को मान लिया जाए। इस लिए पैसे का बहुत बड़ा सवाल नहीं है। दिल्ली प्रशासन आपको पैसा देने को तैयार है, कारपोरेशन इस चीज को मानने के लिए तैयार है, एन० डी० एम० सी० नए ग्रेड मानने के लिए तैयार है।

लेकिन बात क्या है? बात यह है कि मानने के लिए आप भी तैयार हैं। आपको भी उन्होंने इंटरप्रेटेशन के लिए भेजा था। लेकिन आपने दुबारा कुछ इंटरप्रेटेशन कर दिया। बात आखिर क्या है? बात यह है कि मोरारजी देसाई साहब यहां बैठे हुए हैं। वह कहते हैं कि फाइनेंस मेरे पास है। इसलिए मैं इस में एक पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। जैसे खजाने पर कोई अजगर बैठ

जाता है और किसी को पास आने नहीं देता उसी तरह से वह बैठे हुए हैं। एक बार जिद्द पकड़ ली तो उस जिद्द को निभाया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। हड़ताल हो, गोलियां चले, कुछ और हो लेकिन वह हिलने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार का यह एटीट्यूड बहुत गलत है। चुने हुए नुमाइंदें अगर इस तरह का एटीट्यूड एडाप्ट करते हैं तो यह देश के लिए और संसद के लिए भी अपमानजनक है। लोगों की भावनाओं को और उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिए। व्यक्तिगत जिद्द पर नहीं अड़ना चाहिये। हरियाणा ने, पंजाब ने, हिमाचल ने कर दिया तो आपको भी कर देना चाहिये। आप क्यों नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि वे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वे कर सकती हैं। लेकिन यह तो इस मामले का लीगल ब्यू लेना हुआ। दिल्ली में कुछ हो, पंजाब में कुछ और हो और हरियाणा में कुछ और ग्रेड हों यह ठीक नहीं है। ये साथ लगती हुई स्टेट्स हैं। यह चीज नहीं चलेगी। आप कुछ करते हैं लेकिन दो मील के फासले पर कुछ और होता है तो इससे हार्ट बनिंग होता है। इस वास्ते सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे हार्ट बनिंग न हो और लोगों में एक तरह से शान्ति रहे, तसल्ली रहे। हम कई बार प्रधान मंत्री से भी मिले। हमने उप-प्रधान मंत्री से भी बात की और शिक्षा मंत्री से भी बात की। हम लगता है कि जब से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जनसंघ के हाथ में आया है, तब से केन्द्रीय सरकार उस के साथ पोलिटिकल डिसक्रिमिनेशन कर रही है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से जो कोई भी सुझाव आता है, उस को वह रद्दी की टोकरी में डाल देती है। वह हर बात में, ट्रांसफर्ड सबजेक्ट्स के बारे में भी, इन्टरफीयर करती है। जहां तक दिल्ली में हायर सैकंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाने का प्रश्न है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार वह एक ट्रांसफर्ड सबजेक्ट है। तो फिर केन्द्रीय सरकार उसमें हस्तक्षेप क्यों करती है? जब दिल्ली सरकार एक पे-स्केल

देना चाहती है और पैसा भी देना चाहती है, तो केन्द्रीय सरकार उस को केवल इसलिए न माने कि दिल्ली प्रशासन जनसंघ के हाथ में है, कहीं वह पापुलर न हो जाये, यह उचित नहीं है। यह एक खतरनाक खेल है, जो केन्द्रीय सरकार खेल रही है। उस को यह गन्दा खेल नहीं खेलना चाहिए। उसको अपनी घोषणाओं के अनुसार स्टेट्स और सेंटर के रिलेशनज रखने चाहिए।

मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में फिर से विचार करे। अगर वह कमीशन द्वारा रिकमेंडिड ग्रेड देना नहीं चाहती है, तो कम से कम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस ग्रेड का सुझाव दिया है, वह ग्रेड टीचर्स को देना चाहिए। सरकार शायद एक इन-क्रीमेंट देने वाली है। लेकिन एक इनक्रीमेंट से काम नहीं चलेगा? वह कम से कम दो इनक्रीमेंट तुरन्त हर टीचर को वे? इसके साथ-साथ उन्हें मैडिकल फ्रंसिलिटीज, हाउसिंग फ्रंसिलिटीज, कनवेंयेन्स फ्रंसिलिटीज और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली दूसरी फ्रंसिलिटीज देनी चाहिए? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में कई बार लिखा है? अब इसमें देर करना ठीक नहीं होगा?

मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इन तीस हजार लोगों को बाध्य नहीं करेंगे कि वे हड़ताल कर, स्ट्रगल का रास्ता अक्यार करें और फिर उन पर गोलियां चले और इन्द्रप्रस्थ भवन जसा कांड हो। अब तक सरकार की यह स्थिति रही है कि जब तक यह सब कुछ न किया जाये, तब तक उस की अकल में नहीं बैठता है। मैं समझता हूँ कि इस के बगैर ही उस को समय रहते उचित कदम उठाना चाहिये और इस विषय पर तर्क से बुद्धि से, काम लना चाहिए। मैं जानता हूँ कि डा० सेन इन बातों को ज्यादा पोलिटिकल दृष्टि से नहीं देखते हैं। इस लिए मैं उम्मीद है आशा रखता हूँ कि वह दूसरे झगड़ों में न फँस कर इस प्रश्न को मेरिटस पर तय करेंगे और टीचर्स के दुख का निवारण करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : सभापति महोदय, इस प्रश्न पर केवल आज ही नहीं, बल्कि बहुत बार विभिन्न तरीकों से — प्रश्नोत्तर के जरिये, बहस के जरिये — इस सदन में चर्चा हो चुकी है। अन्त में सभी प्रश्नों पर विचार कर के अभी हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की है। जिस प्रश्न के आधार पर यह आधा घंटे की बहस उठाई गई है, मुख्यतया उस का सम्बन्ध वेतन-वृद्धि सेवा-शर्तों में एकरूपता लाने, शिक्षकों को घर सम्बन्धी सुविधा देने और नई दिल्ली म्यू-निसिपल कमटी तथा दिल्ली कार्पोरेशन के अधीनस्थ विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत लाने में है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने अभी कहा कि पिछले बीस वर्षों में दिल्ली के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन दो बार जो वृद्धि हुई, उस का एक दूसरा अर्थ लगा कर उन्होंने स्वयं ही दवे लफ्जों में कह दिया कि हां, एक बार डीयरनेस एलाउंस वेतन के साथ मर्ज किया गया था। अर्थात् उन के अनुसार जो डीयरनेस एलाउंस वेतन में मर्ज किया गया था, वह रुपया रुपया नहीं था, पत्थर था ! उस समय भी शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई थी।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम सभी यह चाहते हैं कि इस देश के शिक्षकों के वेतनमान और सम्मान में वृद्धि की जाये और उनके वेतनमान और सम्मान उनके कार्य के अनुरूप हों। लेकिन माननीय सदस्य ने जिस लंहज में सरकार की गन्दी नीति का जिक्र किया, उससे प्रकट होता है कि उनके खयाल में हम शिक्षकों से कोई सहानुभूति नहीं है। जैसे सहानुभूति का दरिया केवल जूनी के हृदय में बहता है, हमारे हृदय तो बड़े कठोर हैं, हृदय में तो कोई भावना नहीं है, हमारे बच्चे तो स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं !

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब पिछली बार, 21 दिसम्बर को, शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षकों की वेतनवृद्धि की, तो उस समय इन सब प्रश्नों पर विचार कर लिया गया था। माननीय सदस्य ने कहा है कि दिल्ली प्रशासन ने जो वेतनमान भेजे हैं, उन को लागू कर दिया जाये। उस समय भी ये सब सुझाव और तथ्य हमारे सम्मुख थे। उन सब पर विचार कर के ही हम लोगों ने वेतन-मान में वृद्धि की। जो अधिक से अधिक वेतनमान सम्भव था, वह उन्हें दिया गया। अगर हम वेतनमानों के आंकड़े देखें, तो उन से यह सिद्ध होगा कि दिल्ली में आज जो वेतनमान मिलते हैं, वे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से अधिक हैं, वे हरियाणा, पंजाब और आसाम के कुछ भाग को छोड़ कर देश के तमाम भागों में भी अधिक हैं। सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के वेतनमानों में ही नहीं, बल्कि मिडल ट्रेन्ड, ट्रेन्ड प्रोजेक्ट्स और पोस्ट प्रोजेक्ट्स के वेतनमानों में भी वृद्धि की गई है।

मुख्य बात यह है कि प्रायः सभी वर्गों के शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि हुई है। सिर्फ कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यों को छोड़ कर प्रायः सभी शिक्षकों के न्यूनतम वेतन में और सभी वर्गों के अधिकतम वेतन में वृद्धि हुई है। प्राइमरी शिक्षकों, उन के प्रधानाध्यापकों, डामस्टिक साइंस और ड्राइंग के टीचर्स के वेतनमानों में वृद्धि हुई है। इस के साथ-साथ उन के स्केल के स्पैन, वर्षों, को कम किया गया है।

माननीय सदस्य ने शिक्षा आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा है कि स्वयं शिक्षकों ने डा० सेन को उन के इन्टर-प्रेंटेशन के लिए कहा था। उन के इन्टरप्रेंटेशन के अनुसार भी शिक्षा आयोग के वेतनमानों को दृष्टि में रखते हुए उन्हें अधिक तनखवाह मिल रही है। लेकिन शिक्षकों के वेतनमानों में और कितनी वृद्धि की जाये, या न की जाये, इस समय

हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है, जिस पर हम ने मत प्रकट करना है या कोई निर्णय करना है। जिस आदर्श सोसायटी की हम सभी कल्पना करते हैं, उस में शिक्षकों के वेतनमान क्या होने चाहिये, वह एक अलग प्रश्न है। श्री कंबरलाल गुप्त ने कहा है कि दिल्ली के वेतनमानों में वृद्धि हुई है, लेकिन इस को साथ लगने वाले प्रान्तों, हरियाणा और पंजाब, से जोड़ा जाये इन राज्य सरकारों ने वेतनमानों में जो वृद्धि की है, वह हम से कोई खर्च लिये बिना की है। लेकिन दिल्ली के साथ लगने वाला एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है, जहां शिक्षकों को आज सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं। जैसा कि उस सदन में और यहां भी कहा गया है, यह बहुत ही असंतोष और दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश में इतने कम वेतन मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हम वहां पर प्राइमरी शिक्षकों का मिनिमम वेतन 150 रुपये करें, लेकिन वहां पर दो लाख शिक्षक हैं, जिस के लिए हमें सात करोड़ रुपया चाहिए। मध्यावधि चुनावों के बाद वहां पर जो सरकार आयेगी, यह काम वही कर सकती है। जैसा कि मैं ने कहा है, हरियाणा, पंजाब और आसाम के कुछ भागों को छोड़ कर देश के सभी भागों की तुलना में, और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैसे शहरों की तुलना में दिल्ली के वेतनमान बहुत अच्छे हैं।

माननीय सदस्य ने यह ठीक कहा है कि यहां पर रिजल्ट अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि तन्ख्याह भी अच्छी है। तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी की परिभाषा और हो सकती है, लेकिन हाल ही में हम ने जो वेतनमान दिये हैं, वे बिल्कुल सही हैं।

आप ने इसमें बहुत से प्रश्नों को और राजनीति को ला दिया है। आप ने कहा कि दिल्ली प्रशासन जब से जनसंघ के हाथ में आया है तब से केन्द्र का ऐंटीट्यूड बदल गया है। वास्तव में बात तो यह है कि दिल्ली प्रशासन में जब जनसंघ की सरकार नहीं आई थी उसके पहले तक रिवीजन नहीं हुआ था लेकिन

अभी 1967 में जो रिवीजन हुआ है, जो हम ने यह वेतन-मान दिया है वह इनके शासन में हुआ है। अब इनकी बात तो यह है कि इनको लिखना है, देना तो इनको है नहीं। इनको उससे तो कोई काम है नहीं। यह लिख देते हैं ऐसी बात जो हमारे लिए संभव नहीं है। जो संभव है वह हम ने किया।

गन्दा खल खेलने की जहां तक बात है वह हम लोग नहीं खलते हैं। यह लोग खलते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षा मंत्री, हमारी सरकार और शिक्षा मंत्रालय को पूरी सहानुभूति है। हमने उसके अनुसार काम किया है, उनके वेतनमान में वृद्धि की है। आप कृपा करके यह मत कहा करिए कि यह सब तो चाहते थे लेकिन मोरार जी भाई नहीं चाहते थे। कृपा करके यह आप मत चलाइए। सरकार एक है। हम अपनी राय उनके पास भेजते हैं। उनके पास अपनी सीमाएं हैं, वित्तीय सीमाएं। इसलिए आप यह गन्दा खेल मत खेलिए। हमारी सरकार एक है, हमारा शिक्षा मंत्रालय एक है और वित्त मंत्रालय एक है। सम्पूर्ण सरकार का यह निर्णय है।

तो यह बात नहीं है कि तनख्याहें उनके नहीं बढ़ी हैं। तनख्याहें बढ़ी हैं और यह हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों की तुलना में अधिक है।

जहां तक और सुविधाओं का संबंध है कि सारी शिक्षा को दिल्ली प्रशासन के अन्दर लाया जाय इस संबंध में आप भी जानते हैं कि दिल्ली कारपोरेशन ने यह प्रस्ताव पास कर लिया है कि सारी शिक्षा दिल्ली प्रशासन ने अन्दर आ जाय। दिल्ली प्रशासन ने अपनी योजना भी बना ली है। 75 लाख की योजना बन गई है जिसके आधार पर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल यह सब एक प्रशासन में आ जायेंगे।

जहां तक सेवा शर्तों में एक-रूपता की बात है आप जानते हैं कि सेवा शर्तों की उन्न

[श्री भागवत शा आजाब]

58 वर्ष है दिल्ली प्रशासन में और 70 वर्ष है दिल्ली कारपोरेशन में। जब यह एक प्रशासन के अन्दर आ जाएंगे फिर इस पर भी विचार किया जायगा।

जहां तक ट्रिपल बेनीफिट का सवाल है इस के संबंध में भी हम विचार कर रहे हैं।

एक प्रश्न आप ने बार बार दोहराया। आप यह कहना चाहते हैं कि दिल्ली प्रशासन तो तैयार है 25 लाख देने के लिए। किस बात की तैयारी है? आप के बजट का सैकड़े में 95 प्रतिशत हिन्दुस्तान के कंसालिडेटेड फण्ड से आता है। क्या आप तैयार हैं कि 25 लाख जो तनख्वाह बढ़ाएंगे तो सारा रेकर्डिंग एक्सपेंडिचर अगले वर्षों में उठाएंगे। तो 25 लाख रुपये का यह जो आप राजनैतिक मुलभमा देते हैं, यह आप के बल के बाहर की बात है। यह गलत बात है क्योंकि जितनी बृद्धि है उस का सारा पैसा केन्द्रीय सरकार देती है।

जहां तक हड़ताल की धमकी देते हैं तो वह बेचारे शिक्षक समझ गए हैं आप को कि आप कितने उन के हमदर्द हैं और केन्द्रीय एम्प्लायी भी समझ गए हैं कि कितनी छुपा आप उन पर करते हैं। मेरा विश्वास है कि शिक्षक वर्ग इस बात को समझता है कि सरकार की सहानुभूति उन के साथ रही है और शिक्षा की स्थिति को सुधारने में वह इस बात पर अमल करेंगे। जो हम ने वेतन मान दिया है और जो यह सेवाएं हैं जो जनसंघ प्रशासन के अन्दर हैं वह इस के अन्तर्गत सुचारु रूप से चलेंगी।

श्री कंबर लाल गुप्त : इन्क्रीमेंट के बारे में मैंने सवाल उठाया था उस के बारे में आप ने नहीं बताया।

श्री भागवत शा आजाब : सभापति जी, यह अभी अभी हाल के प्रश्न में बताया गया है। यह बिलकुल स्पष्ट था (ब) सवाल में, इसलिए

मैंने इस के बारे में नहीं कहा। हम ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर रही है। इस के आगे हम और कुछ नहीं कहना चाहते।

श्री कंबर लाल गुप्त : क्या विचार कर रहे हैं? एक इन्क्रीमेंट या दो?

श्री भागवत शा आजाब : सम्पूर्ण बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री : (हापुड़) : सभापति जी, पहले एक बार जब प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन मान की चर्चा आई थी तो स्वयं शिक्षा मंत्री डा० त्रिगुणसेन ने एक मुझाब से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा था कि मैं मानता हूँ कि अध्यापकों को आज की आवश्यकता के अनुरूप वेतन नहीं मिल रहा है मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि वेतन के अतिरिक्त यदि कोई दूसरी सुविधाएं दी जा सकें तो दूँ उदाहरण के लिए निवास की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है या उस समय ऐसा भी एक मुझाब आया था जिसे मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि कम वेतन वाले अध्यापकों के बच्चों को शिक्षा संबंधी सुविधा एम० ए० तक की फ्री एजुकेशन मिले इस तरह की सुविधाएं जिस में सरकार को बहुत बड़ा व्यय नहीं करना पड़ेगा, उन मुझाबों पर जो डा० सेन ने आश्वासन दिया था उस दिशा में क्या किसी प्रकार की कोई प्रगति हुई?

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ जिसे पीछे उस दिन उजैर प्रेदिश के अध्यापकों के प्रश्न पर भी आजाब ने कहा था। मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल में पब्लिक स्कूलों के संबंध में कुछ निर्णय हुआ था। दिल्ली केन्द्र के अंतर्गत है। क्या आप ने राजधानी में एक दो कदम, किसी प्रकार उस दिशा में बढ़ाया है? केवल वह निर्णय राष्ट्रीय एकता परिषद् के कागजों तक ही सीमित है या शिक्षा मंत्रालय ने किसी प्रकार उस को कार्यान्वित किया है?

तीसरी बात-जो आप ने सहानुभूति प्रकट की उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के साथ कि हमें भी बड़ा असन्तोष है कि उन्हें 80 रुपया प्रति मास मिल रहा है। अगर आप की सहानुभूति से उन का और उन के बच्चों का पेट भर जाता तो मुझे इस सब की कहने की आवश्यकता न होती। आप कह रहे हैं कि वह जो नई सरकार बनेगी वह इस का निर्णय करेगी। लेकिन आप कम से कम फरवरी तक कुछ तो सुविधा उन को दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल चल रही है। विधान परिषद् के सामने और कलेक्टरों की कोठियों पर वह हड़ताल करने जा रहे हैं। आप के आश्वासन का उन की हड़ताल की समाप्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में आप संभोरता से कुछ न कुछ घोषणा जरूर करेंगे।

श्री भागवत झा आचार्य : सभापति जी, आप ने वर की सुविधा का उल्लेख किया। दिल्ली में शिक्षकों को जनरल पूल के अंतर्गत जो सुविधाएं औरों को दी जाती हैं वही उन को भी हैं। अभी दिल्ली प्रशासन के अन्दर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में शिक्षकों के निवास के प्रबन्ध के लिए वह डायरेक्टोरेट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहते हैं। इस समय उन को वही सुविधाएं हैं जो जनरल पूल में औरों को हैं।

जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है इस के बारे में उन की एक स्कीम है और वह स्कीम स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई है।

जहां तक विश्वविद्यालय में पढ़ाई का संबंध है हम ने इस प्रश्न को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को भेजा था। उन्होंने कहा कि उन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को यह निर्देश देना संभव नहीं हो सकेगा।

80 रुपये या 100 रुपये की आप ने जो बात कही कि यह हमारी सिर्फ मौखिक सहानुभूति है, यह मौखिक सहानुभूति का प्रश्न नहीं है। अभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश

की सरकार ने उन के वेतनमान में वृद्धि की है। जैसा मैंने कहा 110 रुपये एक और 115 रुपये एक, यह दो वेतनमान में हुई है जिस के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की सरकार इस वर्ष 3 करोड़ और 75 लाख से कुछ ऊपर धनराशी खर्च करेगी। मैं जानता हूँ कि सहानुभूति से पेट नहीं भरते। सहानुभूति से जो जखम है भूख की उस की तीखी दशन नहीं मिटती। लेकिन साथ साथ यह बात भी सही है कि मैं उस तरह की कोई बात नहीं कर सकता हूँ जो हमारी सीमा के बाहर हो। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। वह यह कि उत्तर प्रदेश में प्राईमरी शिक्षकों की संख्या दो लाख है। अगर उन का न्यूनतम वेतन 150 रुपये पर सीमित कर दिया जाय तो उस के लिए भी 7 करोड़ रुपये चाहिए। यह आने वाली सरकार ही इस संबंध में कोई बड़ी राय बड़े रिसोर्सेज के संबंध में ले सकती है।

आप ने पब्लिक स्कूलों के संबंध में पूछा। इस प्रश्न से मैं नहीं समझ सका उस का क्या संबंध है। पब्लिक स्कूलों के संबंध में जो आपने हर जगह राय व्यक्त की है, सरकार की जो राय उस के संबंध में है वह भी आप को मालूम है। इस संबंध में आप ने पब्लिक स्कूल का जो प्रश्न किया उस का मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप इस को दिल्ली से प्रारंभ कीजिए, यह मैंने कहा था।

श्री शिव चंद्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, मेरा पहला सवाल है कि क्या यह बात सही है कि दिल्ली में मेल टीचर और फी-मेल टीचर के वे स्केल में तफर्क हैं और हैं तो कितने हैं हाई स्कूल स्टेज में, कालेज स्टेज में और प्राइमरी स्टेज में और उन को दूर करने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है ?

दूसरा मेरा सवाल है कि दिल्ली में जो बाहर के टीचर मंगाए जाते हैं, इनबाइट किए जाते हैं विदेशों से यनिवर्सिटी में और

[श्री शिव चंद्र झा]

दूसरे स्कूलों में उन का जो स्कूल होता है वह यहां के जो नैटिव टीचर हैं उन के स्केल से उस में कितना फर्क है और यह फर्क क्यों कायम रखा जाता है ?

तीसरा मेरा सवाल है कि दिल्ली में कितने अनएम्प्लायड ट्रेन्ड टीचर हैं और उन को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक क्या सरकार कोई अनएम्प्लायमेंट बेनीफिट उन को देने की स्कीम चलाएगी कि जितने अनएम्प्लायड टीचर दिल्ली में हैं उन को जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 30 रुपये या 50 रुपये दिए जायं, इस तरह की कोई स्कीम चलाएगी ? यह तीन सवाल हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : दिल्ली में मेल और फीमेल शिक्षकों के वेतनमान में कोई फर्क नहीं है । विश्वविद्यालय से इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है लेकिन स्कूलों में जो विदेशी शिक्षक आते हैं, मैं नहीं कह सकता हूं, हो सकता है वह किसी योजना के अंतर्गत कभी आते हों, लेकिन बहुत कम हैं ऐसे । उन की वे वहाँ की सरकार देती है । हम उन्हें सिर्फ स्थानीय सुविधाएं देते हैं ।

जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है— अनएम्प्लायमेंट बेनिफिट का — न केवल शिक्षक वर्ग, बल्कि इन्जीनियर्स और दूसरे वर्गों के लोग भी बेकार हैं, इस समय कोई भी अनएम्प्लायमेंट बेनिफिट देना हमारी शक्ति के बाहर है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : दिल्ली में पहले भी आम तौर पर देश की दूसरी जगहों के मुकाबले अच्छी तनखवाहें हुआ करती थीं, लेकिन मंत्री महोदय के दिमाग में यह बात जरूर होनी चाहिये कि दिल्ली में रहन-सहन और स्टैंडर्ड पर टीचर को जो खर्च करना पड़ता है, वह दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में या विलेजेंड से कहीं ज्यादा है । मैं पहला सवाल तो यह पूछना चाहता हूं कि कुठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस में दिल्ली के लिये जो रिकमेंडेशन हुई है,

वह फुली-इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है । इस के अलावा दिल्ली के जो खास हासात हैं—मंहगाई है, मेडिकल फैंसिलिटीज पर देहातों के मुकाबले या दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा खर्च होता है—इन सब को दिमाग में रखते हुए दिल्ली के लिये क्या कोई खास एलाउन्स उन को देने की तजवीज आपके सामने है ?

तीसरी बात—जिस तरह से आप दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी यूनियन टैरिटररी है, वहां पर भी पूरे जोर-शोर से टीचर्स का आन्दोलन चल रहा है—क्या दिल्ली की तरह से उनकी भी जायज मांगों को मीट करने का आप क्या रखते हैं और कब तक उन को मीट करेंगे ताकि हर रोज मुखालिफ़ पार्टियां जो उन को एक्सप्लॉयट करती हैं, जो कि देश का सब से ज्यादा ज़रूरी तबका है जिस पर देश की जनरेशन को बनाने की जिम्मेदारी है, वह एन्टी-सोशल और एन्टी-नेशनल फोर्सों के हाथ में न चला जाय । जो स्टूडेंट्स को बनानेवाले अ्यापक हैं, वे अगर कन्टेन्टेड होंगे, भूखे नहीं होंगे, सेटिस्-फाइड होंगे, तो स्टूडेंट्स को पूरी लगन से पढ़ा सकेंगे और इस से दोनों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय सदस्य ने दिल्ली के रहन-सहन के स्तर की चर्चा की—यह बात सही है कि दिल्ली का रहन-सहन का स्तर देहातों या दूसरे शहरों की तुलना में ऊंचा है; यहां पर दूसरे स्थानों की अपेक्षा अधिक खर्चा होता है । इसी ह्याल को दृष्टि में रखते हुए मैंने बतलाया है कि दिल्ली का वेतनमान सम्पूर्ण देश की तुलना में, न केवल छोटे शहरों में बल्कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि के मुकाबले, अधिक है । केवल पंजाब और हरियाणा को छोड़कर, जिसका कारण सब सदस्यों को मालूम है ।

जहां तक एलाउन्सेज का सम्बन्ध है—उन को हाउस एलाउन्स और सिटी एलाउन्स—

दोनों मिलते हैं। कोठारी कमीशन की सिफारिशें दिल्ली में पूरी तरह से लागू हैं। जहाँ तक हिमाचल की माँग का सम्बन्ध है—उस का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन हिमाचल की माँग यह है कि हमें नजदीक के जो राज्य हैं, अर्थात् पंजाब में जो स्केल हैं, वे दिये जायें— इस सम्बन्ध में इस समय मेरे लिये कुछ कहना सम्भव नहीं है, पंजाब के स्केल माने जायें या न माने जायें, इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि पार्टी के प्वाइन्ट आफ व्यू से ऐसी बात कही जा रही है। मैं यह बात साफ़ तौर से कह देना चाहता हूँ कि हम टीचर्स के मामले में दलगत भावना नहीं लाना चाहते हैं। टीचर्स सब के साथ हैं, वच्चे भी सब के साथ हैं, इस लिये इस भाव को मन से निकाल देना चाहिये। सवाल यह है कि जिस समय पंजाब, हरियाणा और अन्य जगहों पर वेतन-मान कम था, उस समय भी दिल्ली का वेतन-मान सब से अधिक था और उस समय भी जस्टीफिकेशन यह थी कि दिल्ली की विशेष परिस्थिति है, दिल्ली में महंगाई अधिक है। अब जब कि दिल्ली में महंगाई और अधिक बढ़ गई है और जब कि पड़ोसी राज्यों में यह महसूस हुआ कि हमारे टीचर्स की तनख्वाहें कम हैं, उन के वेतनमान बढ़ने चाहियें, और साल भर पहले आपने यह माना था कि यहाँ पर भी बढ़ने चाहिये, अब उस के बारे में इन्कार करने का क्या जस्टीफिकेशन है ?

जहाँ तक रुपये का सवाल है—दिल्ली का बजट सेक्टर देता है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ पैदा करता है, वह सेक्टर के पास चला जाता है— अगर केन्द्र दूसरे प्रान्तों की तरह हमारी इन्कम हम को दे दे, तो हम से नहीं कहेंगे और उसी इन्कम से हम दिल्ली के टीचर्स को दूसरा वेतन दे सकते हैं। हमारी दिक्कत यह है कि जो आमदनी हम बढ़ाते हैं—हमने रेल्व से आमदनी को

बढ़ाया, दूसरी चीजों से बढ़ाया, वह तो केन्द्र के पास चला जाता है अगर यह इन्कम हमारे पास रहे तो हम आपसे नहीं कहेंगे। इसलिये हम चाहते हैं कि आप केन्द्र से कहें—प्लानिंग कमीशन से कहें, वित्त मंत्रालय से कहें कि दिल्ली जो अधिक रिसोर्सेज पैदा कर रहा है, वह दिल्ली सरकार को दे दीजिये ताकि वे अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें, टीचर्स को अधिक दे सकें।

टीचर्स के अन्दर भेद-भाव आज भी है ! मिडिल स्कूल के टीचर्स जो कारपोरेशन के अन्तर्गत हैं, उनकी सुविधायें एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर्स से कम हैं ! आज कारपोरेशन ने पास कर दिया है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि मिडिल स्कूल की शिक्षा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाय किन्तु अब तक बीच में कहीं न कहीं रुकावट पड़ी हुई है ! हम जानना चाहते हैं कि यह हरी झण्डी कब तक मिल जायगी ताकि कारपोरेशन के सारे मिडिल स्कूल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ आ जाय ताकि उनके टीचर्स की भी वही स्थिति हो जाय जो प्रशासन के टीचर्स की है !

दिल्ली में नई स्कूल बिल्डिंग बन रही हैं ! हम चाहते हैं कि जो नई स्कूल बिल्डिंग बनें, उन के लिये आधा एकड़ भूमि अधिक दे दें ताकि वहाँ के टीचर्स के लिये क्वाटर्स भी स्कूल में ही बन जाय !

श्री भागवत शा आखाब : माननीय सदस्य जरा देर में आये हैं, मैंने कभी भेद-भाव और राजनीति की बात शिक्षकों के बारे में नहीं की, लेकिन उन के मित्र श्री कंवर लाल गुप्ता ने सीधे चार्ज लगाया कि जब से जनसंघ का शासन आया है केन्द्रीय सरकार बहुत राजनीति और भेदभाव करती है और गन्दे खेल खेलती है ! मैंने उसके जवाब में कहा था ! जो आपने कहा मैं आपसे सहमत हूँ कि शिक्षकों के प्रश्न में राजनीति नहीं आनी चाहिये, भविष्य में आप क्या रखें — न आप वोलें और न हम वोलें !

[श्री भागवत झा आवाज]

जहाँ तक वेतन मान का प्रश्न है — मैंने इस प्रश्न पर बहुत विस्तार से कह दिया है— दिल्ली में कठिनाइयाँ अधिक हैं, रहने का स्तर ऊँचा है इसी कारण से दिल्ली का वेतन मान अधिक था और अभी जब शिक्षा मंत्री जी ने बढ़ाया है, तब भी सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में, पंजाब और हरियाणा को छोड़ कर, अधिक है ! इसलिये आप यह न कहें कि हमारे पास कोई इन्कार की बात है, हमारे पास शिक्षकों के लिये स्वीकार की ही बात है !

जहाँ तक रिसोर्सेज पैदा करने की बात है, आप भी स्वीकार करेंगे कि इस प्रश्न का शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है ! इसके लिये मधोक साहब बहुत सबल हैं, वे इस प्रश्न को वित्त मंत्रालय से या गृह मंत्रालय से अलग से रखें कि दिल्ली जो पैदा करता है, वह दिल्ली को मिल जाय !

श्री बलराम मधोक : आप भी हमारा साथ दें !

श्री भागवत झा आवाज : जहाँ तक कारपोरेशन की बात है — उसके पास जो

मिडिल या हायर सैकेंड्री स्कूल हैं, उनके सम्बन्ध में कारपोरेशन ने तो निर्णय ले लिया है, लेकिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर यह बात विचाराधीन है ! उन्होंने एक योजना भी इस सम्बन्ध में बना ली है कि दिल्ली कि एडमिनिस्ट्रेशन इन स्कूलों को अपने अण्डर ले ले, यह 25 लाख रुपये की योजना है, यह अभी उनके ही पास है !

श्री कंबर लाल गुप्त : आप के पास आ गई है !

श्री भागवत झा आवाज : जहाँ तक नई स्कूलों की बिल्डिंग का प्रश्न है कि उनको आधा एकड़ जमीन ज्यादा दी जाय, यह हमारे बस की बात नहीं है ! अभी मैं इस के सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूँ, जो इससे सम्बन्धित मंत्रालय है, वह इस पर विचार करेगा !

18.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November, 25, 1968/Agrahayana 4, 1890 (Saka).